न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1872–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक निगरानी 827/बी–121/2010–11.

प्रेमलाल तनय स्व.श्री काशीप्रसाद अग्रवाल
निवासी वार्ड नम्बर 14 बडा मलहरा
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–नगर पंचायत बडा मलहरा
द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत बड़ा मलहरा
जिला छतरपुर म0प्र0

2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अग्रवाल, अभिभाषक आवेदक
श्री सुरेश रजक, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 286/अ–20/1997–98 द्वारा राजीव आश्रय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड कमांक 2361 वार्ड कमांक 14 में 220 वर्गफुट का रहवासी पटटा 30 वर्ष की कलावधि के लिये प्रदाय किया गया । नगर पालिका बडा मलहरा के पत्र दिनांक 22–2–2000 के परिप्रेक्ष्य में जिसमें भूमि खसरा नम्बर 2361 में नगर पालिका द्वारा पूर्व से ही दुकानों के निर्माण कार्य योजना प्रस्तावित होने का उल्लेख किया था, पर अनुविभागीय अधिकारी विजावर ने प्रकरण कमांक

280 / अ–20 / 1997–98 में पारित आदेश दिनांक 25–2–2000 द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर छतरपुर के यहॉ निगरानी / अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 236 / अ–20 / 1999–2000 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 12–7–2000 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार न होने से आवेदन खारिज कर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । इस पर आवेदक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 536 / निगरानी / अ–20 / 1999–2000 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 30–8–2003 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजावर का आदेश दिनांक 25–2–2000 निरस्त कर पटटा बहाल करने का आदेश दिया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–13 क के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक निगरानी 474–तीन / 2004 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 18–11–05 से निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी विजावर को प्रत्यावर्तित किया।अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 908 / बी–121 / 2006–07 दर्ज कर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 12–6–09 से पट्टा बहाल किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–09 से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा कलेक्टर न्यायालय जिला छतरपुर के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की जो कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–6–11 से सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई । जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 827 / बी–121 / 2011–12 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 13–10–11 से निगरानी निरस्त की गई जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि संगत एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र में बने प्रावधानों के अनुकूल न होने से न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–11 विधिसंगत न होने से एवं पर्याप्त कारण न बताते हुये भी अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत याचिका को सुनवाई कर मान्य करने में कानूनी भूल की है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार विहीन याचिका अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रचलन योग्य नहीं है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि उक्त प्रकरण पूर्व में राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रत्यावर्तित हुआ था जिसकी सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा की जाकर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 18–11–2005 को निगरानी स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित

गया । उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो स्वीकार हुई । आवेदक द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक से व्यथित होकर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा स्वीकार कर दिनांक 30–8–03 को पटटा बहाल किया गया था जिसकी निगरानी अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व मण्डल में की गई थी । राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी ऑशिक स्वीकार कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया था कि पटटे के संबंध में प्रारूप ख नियम 7 पटटे की शर्ते चार में यह लेख है कि लोकहित में बस्ती का अन्यत्र व्यवस्थापन किया जाता है और पटटेदार को अन्यंत्र व्यवस्थापित किया जाये किन्तु अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक का कोई व्यवस्थापन ना कराते हुये कार्यवाही किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र दूषित आधारों पर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 12–6–09 को पटटा बहाल कर दिया है । अनावेदक द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली थी कि पटटे पर दी गई भूमि में लोकहित में योजना है किन्तु लोकहित से संबंधित योजना के संबंध में वर्ष 98 से आज दिनांक तक कोई दस्तावेज किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है उक्त भूमि शासन की होने के कारण आवेदक को पटटे पर राजीवगॉधी आश्रय योजना के अन्तर्गत दी गई है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि संपूर्ण अभिलेखों को देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–09 यथावत् रखते हुये कलेक्टर एवं आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेख के आधार पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर के अंतरिम आदेश दिनांक 28–06–2011 के विरूद्ध दूसरी निगरानी है । उक्त आदेश द्वारा कलेक्टर ने अनावेदक की निगरानी को समय अन्तर्गत सुनवाई हेतु ग्राह्य किया है । निगरानी को समय सीमा में मान्य करने के जो कारण, विस्तृत कारण कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–6–2011 में दिये गये हैं वह अभिलेख के तथ्यों के अनुरूप होने से विधिपूर्ण हैं । आवेदक ने अपनी इस निगरानीमें इन तथ्योंपर एक भी शब्द नहीं कहा है न कोई इन तथ्यों का विरोध किया है । जो बिन्दु आवेदक द्वारा उठाये गये हैं उनको उठाने के

लिये वह कलेक्टर के समक्ष स्वतंत्र है जिसका अवसर उसे अभी उपलब्ध है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आवेदक की निगरानी निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर